पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों के सन्दर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की

सतर्कता व सावधानी से कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाया जा सकता है : मुख्यमंत्री

प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को अपने–अपने जनपदों में कोरोना वायरस से बचाव के सम्बन्ध में समयबद्ध ढंग से पूरी तैयारी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश

जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी अपने जनपद के जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड्स तथा ओ0पी0डी0 में पृथक से स्थापित फीवर/फ्लू कॉर्नर का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें

समस्त जनपदों में 24x7 कण्ट्रोल रूम स्थापित कर संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जाए

प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कोरोना वायरस के सम्बन्ध में निर्देश

जिलाधिकारी अपने जनपद में नोवेल कोरोना वायरस 2019 (कोविड 19) की रोकथाम, बचाव एवं उपचार से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों के नोडल अधिकारी होंगे

भ्रामक सूचना अथवा अफवाह पर त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए

कोरोना वायरस से बचाव के सम्बन्ध में व्यापक पैमाने पर जनजागरूकता उत्पन्न किए जाने के निर्देश

लखनऊ : 15 मार्च, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सतर्कता व सावधानी से कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को अपने–अपने जनपदों में कोरोना वायरस से बचाव के सम्बन्ध में समयबद्ध ढंग से पूरी तैयारी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी अपने जनपद के जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड्स तथा ओ0पी0डी0 में पृथक से स्थापित फीवर/फ्लू कॉर्नर का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। समस्त जनपदों में 24x7 कण्ट्रोल रूम स्थापित कर संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सभी जनपद कोरोना के सम्बन्ध में प्रतिदिन की रिपोर्ट तैयार कर शासन को उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर नोवेल कोरोना वायरस (कोविड 19) के सन्दर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी अपने जनपद में नोवेल कोरोना वायरस 2019 (कोविड 19) की रोकथाम, बचाव एवं उपचार से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों के नोडल अधिकारी होंगे।

मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली एन0सी0आर0 (गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद), भारत–नेपाल सीमा के 07 जनपदों तथा जनपद आगरा एवं लखनऊ सहित कुल 11 जनपदों के समस्त मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर एवं क्लबों को बन्द किए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी द्वारा अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक करते हुए समस्त विभागों जैसे–स्वास्थ्य, गृह, पंचायतीराज, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा (मेडिकल कॉलेज), उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, बाल विकास पुष्टाहार, ग्राम्य विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, मनोरंजन, सीमा सुरक्षा, पर्यटन, परिवहन, रेलवे, आई0एम0ए0, नर्सिंग होम एसोसिएशन, पुलिस विभाग आदि के अधिकारियों को उनके सहयोगात्मक उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करते हुए कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में सभी राष्ट्रों से आने वाले भारतीय नागरिकों एवं विदेशी यात्रियों को सर्विलांस में लिया जाना है। इनकी संख्या अधिक होने के कारण सर्विलांस हेतु गृह, रेवेन्यू एवं अन्य विभागों का सहयोग लिया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने जनपद के भारत–नेपाल सीमा के चेकपोस्ट तथा एयरपोर्ट का भ्रमण कर चेकपोस्ट एवं एयरपोर्ट पर स्थापित हेल्थ डेस्क पर चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल कर्मियों, लॉजिस्टिक्स एवं एम्बुलेन्स की व्यवस्था के साथ–साथ कोरोना वायरस से बचाव व उपचार के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन अथॉरिटी एवं सीमा सुरक्षा बल का सहयोग भी लिया जाए। कोरोना से बचाव के लिए सरकार के अलावा, निजी क्षेत्र के चिकित्सकों, संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिण्ट मीडिया को किसी भी प्रकार का वक्तव्य मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि

द्वारा ही दिया जाए। वक्तव्य, विज्ञप्ति को आवश्यकतानुसार शासन के भी संज्ञान में लाया जाए। यदि जनपद में किसी माध्यम से भ्रामक सूचना अथवा अफवाह फैलायी जा रही हो, तो उस पर त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए। कोरोना वायरस से बचाव के सम्बन्ध में व्यापक पैमाने पर जनजागरूकता उत्पन्न किए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अफवाहों पर पूरा नियंत्रण लगाया जाए तथा इस सम्बन्ध में सोशल मीडिया पर भी निरन्तर निगरानी रखी जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी अपने जनपद के रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक कर रेलवे विभाग द्वारा संचालित विभिन्न ट्रेनों का डिसइन्फेक्शन कराने तथा रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों को रेलवे विभाग के चिकित्सकों द्वारा स्क्रीनिंग कराते हुए सूचना स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिवहन विभाग समस्त बस स्टेशनों एवं परिवहन द्वारा संचालित समस्त बसों में प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी एडवायजरी के अनुसार विसंक्रमण का कार्य कराना तथा बस स्टेशनों एवं बसों में रोग से बचाव, रोकथाम एवं उपचार के सम्बन्ध में क्या करें, क्या न करें का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं, वहां पर भी साफ–सफाई का सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक पाली की परीक्षा से पूर्व विसंक्रमण की कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे जनपद जहां सिनेमा हॉल एवं मल्टीप्लेक्स बंद नहीं किए जा रहे हैं, वहां सिनेमा हॉल एवं मल्टीप्लेक्स में प्रत्येक शो के बाद डिसइन्फेक्शन का कार्य कराना तथा प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी एडवायजरी के अनुसार विसंक्रमण का कार्य कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने समस्त जनपदों के आई0एम0ए0 एवं नर्सिंग होम एसोसिएशन के चिकित्सकों का संवेदीकरण कराया जाए तथा उनके यहां आने वाले संदिग्ध यात्रियों/रोगियों की सूचना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया जाए। उन्होंने कोरोना वायरस की जांच व पुष्टि के सम्बन्ध में आवश्यक उपकरण तथा मानव संसाधन की उपलब्धता शीघ्रता के साथ सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लब्स, गाउन आदि की व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाए।

चिकित्सा विभाग द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों में नगर विकास विभाग नगरीय क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में तथा शिक्षा विभाग समस्त विद्यालयों में रोग से बचाव, रोकथाम एवं उपचार के सम्बन्ध में क्या करें, क्या न करें का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि जनता में रोग के प्रति भय की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सही जानकारियों के साथ जनता को सजग करते हुए रोग के प्रसार को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने कार्यालयों में स्थापित फर्नीचर, सीढ़ियों की रेलिंग, लिफ्ट के बटन, डोर हैण्डल्स आदि का प्रोटोकॉल के अनुसार नियमित डिस्इन्फेक्शन कराना सुनिश्चित करें। सभी सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्र के कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि विदेश यात्रा से आने वाले कर्मचारी 14 दिन का क्वारेनटाइन अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही कार्यालय में कार्य प्रारम्भ करें। इस अवधि में वे घर से कार्य कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस 2019 का संचरण (Covid 19) Stage-II में है। व्यापक संचरण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Epidemic Disease Act-1897, दिनांक 14 मार्च, 2020 को प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू किया जा चुका है। कोरोना से बचाव के तहत हर सम्भव कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, आगरा, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, वाराणसी, गोरखपुर के जिलाधिकारियों से कोरोना वायरस के बचाव के सम्बन्ध में की गई तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा, उन्होंने एस0जी0पी0जी0आई0, के0जी0एम0यू0, बी0एच0यू0 के अधिकारियों व चिकित्सकों सहित प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा तथा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से भी जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

————————